भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 542

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

542. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

श्री एस.सी. उदासीः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की है और यदि हां, तो इन योजनाओं की विशिष्ट विशेषताओं के साथ-साथ लाभार्थियों के लिए मानदंड सहित उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित/उपभोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्यों के साथ-साथ उक्त योजना के लिए निर्धारित उद्देश्य मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के तहत कोई राज्य-वार उद्देश्य निर्धारित किए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक राज्य के लिए निर्धारित विस्तृत उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के तहत लाभार्थियों की सिद्धार्थ नगर जिले सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने सभी 14.5 करोड़ किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पांच करोड़ किसानों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इन योजनाओं को कब तक सभी राज्यों में लागू किए जाने की संभावना है; और

(ज) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए कोई बुनियादी ढांचा स्थापित किया है/शुरू किया है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड.): प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एकल स्कीम है जो इसका लक्ष्य कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन उच्च आय वर्ग से संबंधित देश के सभी भू-जोत धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम किसान परिवारों को 2000 रुपये की 4 माह की तीन किश्तों में 6000 रुपये का भुगतान करती है। इस स्कीम का उद्देश्य अनुमानित कृषि आय सहित घरेलू आवश्यकताओं के अनुरुप उपयुक्त फसल स्वास्थ्य तथा उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने हेतु किसानों को कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करने के लिए सक्षम बनाना है ताकि ऐसे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्हें ऋणदाताओं के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके और कृषि

कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम का कोई राज्यवार उद्देश्य नहीं है। इस स्कीम का दायरा अब देश के सभी भू-जोत किसान परिवारों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया गया है जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 14.5 करोड़ है। पीएम-किसान पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्यवार विवरण और अब तक इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय लाभ लेने वालों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रथम किश्त में 130667 तथा दूसरी किश्त में 127236 लाभार्थियों को अब तक भुगतान किया गया है।

(च): जी हां, किसानों के पास वृद्धावस्था में गुजारे के लिए कोई बचत न होने के कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने और जीवनयापन का स्रोत न होने की स्थिति में सहायता देने की दृष्टि से सरकार ने देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए कतिपय अपवर्जन उपबंधों के अध्यधीन एक पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात 3,000 रूपये/- प्रति माह न्यूनतम निर्धारित पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान है। यह एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। लाभार्थी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित पेंशन फंड की सदस्यता लेकर इस स्कीम का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है। किसानों के पास पीएम-किसान स्कीम के खातों से अपने द्वारा आहरित लाभ से स्कीम के लिए सीधे ऐच्छिक अंशदान देने का विकल्प है। केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान में 50 प्रतिशत हिस्सा है। उदाहरण के लिए लाभार्थी को 29 वर्ष की आयु में पेंशन फंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 100 रुपये प्रति माह अंशदान के अनुकूल 100 रूपये प्रति माह अंशदान करना अपेक्षित है। पेंशनर किसान की मृत्यु होने पर उसका पति/उसकी पत्नी फेमिली पेंशन के रुप में पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का/की हकदार है बशर्ते कि वे पहले से स्कीम का एसएमएफ लाभार्थी नहीं हो।

(छ): पीएम-किसान निरंतर एवं प्रक्रियारत स्कीम है जिसके अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर चिन्हित लाभार्थियों के सही व सत्यापित आंकड़े अपलोड किये जाने के पश्चात लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय लाभ का अंतरण किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों को विविध संबंधित एजेंसियों के साथ बैंकों द्वारा बहुस्तरीय सत्यापन तथा अनुमान्यकरण किया जाता है, तभी लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है। सरकार देशभर में किसान पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए पहले से ही सिद्धांतिक रुप पर निर्णय ले चुकी है।

(ज): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा पीएम-किसान की स्कीम के लिए लाभार्थियों के आंकड़ो को अपलोड करने हेतु www.pmkisan.gov.in नामक विशेष एकल वेब पोर्टल बनाया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पोर्टल उपलब्ध नहीं है।

अनुबंध

अताप्र.सं. 542

राज्य	प्रथम किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या)	प्रथम किस्त का भुगतान (राशि रुपये में)	द्वितीय किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या)	द्वितीय किस्त का भुगतान (राशि रुपये में)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	10,004	20,008,000		0
आंध्र प्रदेश	3,443,116	6,886,232,000	3,126,852	6,253,704,000
अरुणाचल प्रदेश	0	0		0
असम	1,119,983	2,239,966,000	1,029,438	2,058,876,000
बिहार	231,873	463,746,000	219,136	438,272,000
चंडीगढ़	13	26,000		0
छत्तीसगढ़	111,898	223,796,000	109,434	218,868,000
दादरा और नगर हवेली	5,322	10,644,000		0
दमन और दीव	2,119	4,238,000		0
दिल्ली	0	0		0
गोवा	2,385	4,770,000	2,336	4,672,000
गुजरात	2,832,336	5,664,672,000	2,821,569	5,643,138,000
हरियाणा	942,052	1,884,104,000	935,929	1,871,858,000
हिमाचल प्रदेश	474,763	949,526,000	438,256	876,512,000
जम्मू एवं कश्मीर	497,204	994,408,000	459,593	919,186,000
झारखंड	470,307	940,614,000		0
कर्नाटक	320,721	641,442,000	231,847	463,694,000
केरल	935,786	1,871,572,000	931,661	1,863,322,000
लक्षद्वीप	0	0		0
मध्य प्रदेश	9,304	18,608,000		0
महाराष्ट्र	2,129,137	4,258,274,000	1,418,119	2,836,238,000
मणिपुर	7,276	14,552,000		0
मेघालय	76	152,000		0
मिजोरम	24,410	48,820,000	11,931	23,862,000
नागालैंड	33,554	67,108,000	30,459	60,918,000
ओडिशा	962,115	1,924,230,000	799,293	1,598,586,000
पुडुचेरी	4,200	8,400,000		0
पंजाब	1,275,440	2,550,880,000	1,144,648	2,289,296,000
राजस्थान	1,493,023	2,986,046,000		0
सिक्किम		0		0
तमिलनाडु	2,148,504	4,297,008,000	2,063,192	4,126,384,000
तेलंगाना	2,110,887	4,221,774,000	1,858,210	3,716,420,000
त्रिपुरा	151,095	302,190,000	151,064	302,128,000
उत्तर प्रदेश	11,169,349	22,338,698,000	10,848,667	21,697,334,000
उत्तराखंड	396,646	793,292,000	327,434	654,868,000
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
कुल	**33,314,898**	**66,629,796,000**	**28,959,068**	**57,918,136,000**

******